4 दैनिक जागरण पटना, 21 जून 2018

रेरा ने और 25 बिल्डरों को जारी की नोटिस

राज्य ब्यूरो, पटना : रीयल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा), बिहार ने बुधवार को और 25 बिल्डरों को नोटिस जारी करते हुए उनकी आवासीय परियोजनाओं पर जवाब तलब किया है। बिल्डरों को जारी नोटिस में उनकी परियोजनाएं गिनाते हुए उनके एजेंट्स की सूची भी तलब की गई है। कहा गया है कि 26 जून तक सभी बिल्डर और डेवलपर उन एजेंटों की सूची उपलब्ध करा दें, जिनके माध्यम से वह ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। साथ ही रियल इस्टेट का कारोबार करने वाले अन्य एजेंटों को भी जल्द निबंधन कराने को कहा गया है। रेरा ने आदेश में साफ कहा है कि जमीन का कारोबार करने वाले एजेंटों को भी रेरा में निबंधन कराना होगा। इसके अलावा अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर और डेवलपर के साथ ऐसे एजेंटों को भी निबंधन कराना होगा, जो बने फ्लैट बेचते हैं। रेरा ने इन्हें रीयल एस्टेट एजेंट का नाम दिया है। प्रावधान के अनुसार हर वह व्यक्ति जो पांच कट्ठा से अधिक जमीन की बिक्री करता है, उसे निबंधन कराना होगा। अगर पांच कट्ठे के प्लॉट में पांच व्यक्ति को एक-एक कट्ठा बेची गई, तब भी निबंधन होगा।